

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर  राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 34/2019 (2019/00327)  अनवान नरपतसिंह बनाम कुन्दनसिंह वगैरा  प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

16-3-26

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक, संयुक्त कब्जाशुदा, काश्तशुदा पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 1 रकबा 140 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय तथा इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 2 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम वाके ग्राम लोलासनी पटवार क्षेत्र पीपरली तहसील लूणी जोधपुर में स्थित है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज थी, एवं तत्पश्चात उत्तराधिकार में वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। खसरा नम्बर 1 में प्रार्थी का कुल भूमि में 1/4 हिस्सा बतौरी खातेदार दर्ज है, इस प्रकार से 140 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी का चौथा हिस्सा निहित है, एवं खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा में प्रार्थी का आधा हिस्सा निहित है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 1 रकबा 140 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय एवं खसरा नम्बर 2 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जोधपुर की भूमि में प्रार्थी के वर्तमान कब्जा काश्त हिस्से की भूमि में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है।

चुंकी मूल वाद संख्या 38/2022 (2019/00209) अनवान नरपतसिंह बनाम कुन्दनसिंह वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 18.02.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक, संयुक्त कब्जाशुदा, काश्तशुदा पुश्तैनी खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 1 रकबा 140 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय तथा इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि वाके खसरा नम्बर 2 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वाके ग्राम वाके ग्राम लोलासनी पटवार क्षेत्र पीपरली तहसील लूणी जोधपुर जिला जोधपुर में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी